बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 22/2/19

अधिसूचना संख्या–01/निगम (विविध)–08–01/2018 1536 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सुलतान पैलेस एवं बॉकीपुर बस स्टैंड की क्रमशः 4.80 एवं 3.24 एकड़ भूमि एवं भवन पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को हस्तांतरण करने एवं इसके एवज में निगम पर सरकार का बकाया मूलधन ऋण की राशि 874.81 करोड़ रूपये के अपलेखन, केन्द्रीय कर्मशाला फुलवारीशरीफ की भूमि पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न कार्यालय तथा जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राईविंग प्रशिक्षण एवं जाँच केन्द्र राज्य सरकार की निधि से विकसित/निर्माण, भवन निर्माण विभाग से कराये जाने तथा ISBT की भूमि पर निगम की बसों के संचालन हेतु आधारभूत संरचना के साथ पर्याप्त स्थल बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध कराए जाने की मंत्रिपरिषद की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है:–

1. भूमि के हस्तांतरण के एवज में निगम की देयता एकमुश्त माफ किये जाने एवं निगम कर्मियों को पंचम, षष्टम वेतनमान एवं सेवानिवृत/मृत कर्मियों की सेवांत लाभ के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा अग्रत्तर कार्रवाई की जाएगी।
2. मूलधन ऋण के रूप में निगम की देयता 874.81 करोड़ के अपलेखन हेतु निगम द्वारा उक्त वर्णित परिसम्पत्तियाँ जिसका संलेख के अनुसार आकलित मूल्य 615.60 करोड़ का है, के अन्तर राशि (874.81–615.60) 259.21 करोड़ रूपया को सुलतान पैलेस भवन का **तत्कालीक नोशनल (Notional) मूल्य मानते हुए बकाये मूलधन ऋण की राशि 874.81 करोड़ रूपये को समायोजित कर अपलेखन किया जाएगा, किन्तु सुलतान पैलेस**– भवन का यह तत्कालीक नोशनल (Notional) मूल्य सरकार एवं सरकारी निगम के बीच अपलेखन के लिए ही माना जाएगा। इस संपत्ति का Notional Transfer Price को इस संपति का वास्तविक मूल्य नहीं माना जाएगा। भविष्य में यदि इन संपतियों का पी0पी0पी0 मोड या अन्य किसी मोड अंतर्गत विकसित किए जाने या अन्य किसी प्रकार

से निष्पादन किए जाने का प्रस्ताव विचारणीय होगा, तो इन परिसम्पतियों का तत्समय, नये बाजार मूल्य, के आधार पर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

3. ऋण के बकाया मद में मूलधन की कुल राशि 874.81 करोड़ रूपये का अपलेखन हेतु समतुल्य राशि का अनुपूरक में विभागीय शीर्ष 47–3055–00–190–0001 के विषय शीर्ष सब्सिडी 33 01 में प्रावधान कराते हुए प्रावधानित राशि को आन्तरिक सामंजन के अन्तर्गत बुक हस्तानान्तरण के माध्यम से 47–3055–00–190–0001 से मद की राशि विपत्र के माध्यम से कराते हुए उक्त राशि के बराबर निगम पर बकाया ऋण में चालान के माध्यम से जमा करते हुए अपलेखन किया जाएगा।

4. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय, बस डिपो का कार्यालय, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय एवं ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार की निधि से विकसित/निर्माण भवन निमाण विभाग से कराया जाएगा। निगम का मुख्यालय, बस डिपो कार्यालय एवं निगम का क्षेत्रीय कार्यालय के विकास/निर्माण पर व्यय होने वाली राशि निगम को परिवहन विभाग द्वारा दी जाएगी।

5. निर्माणधीन ISBT में बसों के पार्किंग, टिकट बुकिंग, उनके रख–रखाव तथा मरम्मति हेतु वर्कशॉप, कार्यालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों के लिए उपर्युक्त कार्यों हेतु भी निर्माणाधीन आधारभूत संरचनाओं में सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस बिन्दू पर नगर विकास विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. निगम के गॉधी मैदान स्थित बांकीपुर बस डिपो एवं सुल्तान पैलेस स्थित निगम मुख्यालय में पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने तक एवं आवश्यकतानुसार बांकीपुर बस डिपो से बसों का संचालन जारी रखने एवं सुल्तान पैलेस स्थित निगम मुख्यालय में कार्यालय कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/2/19

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0सं0–01 / निगम (विविध)–08–01 / 2018 1536 पटना, दिनांक– 22/2/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना–7, द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/2/19

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0सं0–01 / निगम (विविध)–08–01 / 2018 1536 पटना, दिनांक– 22/2/19

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/2/19

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– सं0सं0–01 / निगम (विविध)–08–01 / 2018 1536 पटना, दिनांक– 22/2/19

प्रतिलिपिः– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार / माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/2/19

सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।